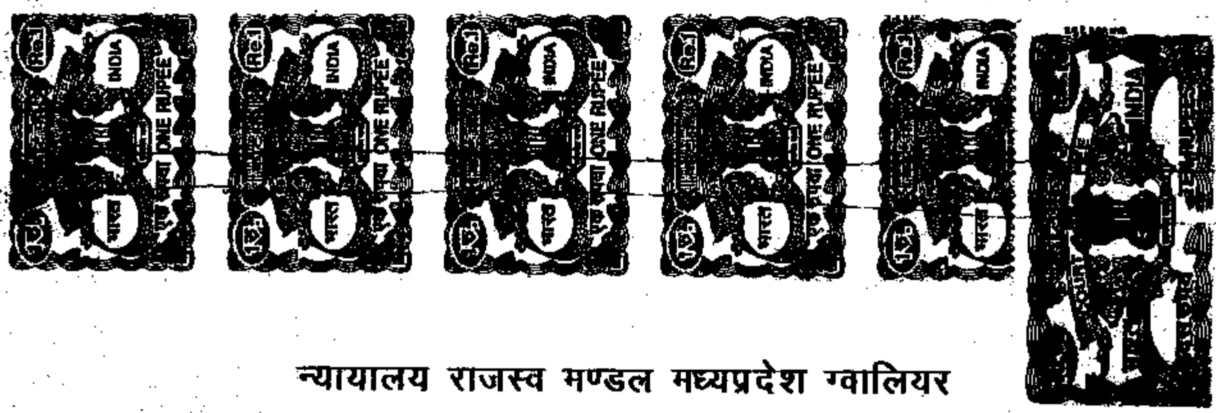

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरावलोकन

रेन्यू 1076-III/14

श्री ... द्वारा आज दि. 21/3/14 को प्रस्तुत

राजस्व म. मं. म.प्र. ग्वालियर

1. गोपाल पुत्र देवलाल कोली
2. श्रीमती विद्याबाई कोली पत्नी गोपाल कोली

निवासीगण ग्राम मोहराई तहसील कोलारस

जिला–शिवपुरी म.प्र.

विरूद्ध

1. प्रकाश पुत्र लोटू धाकड़

ग्राम मोहराई तहसील कोलारस जिला–शिवपुरी

2. मध्यप्रदेश शासन

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 2499–3/2013 में सदस्य श्री अशोक शिवहरे द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–02–2014 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करते है–

संक्षिप्त तथ्यः–

1. यह कि, आवेदकगण का इस प्रकरण से संबंधित भूमि पर पुराना आधिपत्य चला आ रहा था आवेदकगण भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है आवेदकगण का अपना परिवार है तथा वे भूमिहीन कृषक की परिभाषा में आते थे.

2. यह कि, आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन दिया था जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात तहसील न्यायालय ने आवेदकगण के हित में भूमि को व्यवस्थापित किया था.

3. यह कि, अनावेदक–1 जो समृद्ध परिवार का व्यक्ति है तथा जिसे शासकीय भूमि पाने की पात्रता नहीं है ने तहसील आदेश दिनांक 25–06–2002 के विरुद्ध 10 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तार से कारण दर्शाते हुये अस्वीकार किया.

4. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि के बिन्दु पर अनावेदक की प्रार्थना स्वीकार करते हुये अपील को समयबाधित माना साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला की आवेदकगण अनुसूचित

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1076–तीन/14 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
30.7.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2499–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 3.02.14 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1076–तीन/14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2499–तीन/13 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 3.02.14 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 1076–तीन/14 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	